



3

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प, भोपाल

PBR) मिगरानी/हरदा/भू.रा/2017/3057

पुनरीक्षण याचिका कं :- / पी. बी. आर. / 2017 नर्मदापुरम संभाग

प्रस्तुत दिनांक :- 31/8/17

याचिकाकर्तागण :-

श्री दिलीप मिश्रा वामि.
द्वारा 31-8-17
कम से प्रस्तुत किया

31-8-17

1 श्रीमती कृष्णाबाई विधवा स्व० श्रीराम पारे

2 शरद आ० श्रीराम पारे,

दोनों कृषक ग्राम पीपल्या, निवासी 59 सुखदेव
नगर, ऐरोडम रोड, इंदौर

विरुद्ध

उत्तरवादी :-

अशोक आ० गेंदालाल बूचा, व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम
सिराली, तह० खिरकिया, जिला हरदा

पुनरीक्षण याचिका ओर से याचिकाकर्तागण अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू रा०
संहिता

उपरोक्त याचिकाकर्तागण न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, सिराली
द्वारा राजस्व प्रकरण कं 3/अ-13/ वर्ष 16-17 ग्राम मालापुर, तह० सिराली में पारित
अंतरिम आदेश दि० 1/7/17 की अनियमितता एवं अवैधानिकता से क्षुब्ध होकर
निम्नानुसार तथ्यों एवं आधारों पर अपनी यह याचिका प्रस्तुत करते हैं :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./हरदा/भू-रा/2017/3057

जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

05-09-2017

आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार तहसील सिराली जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-7-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 132 के अन्तर्गत विधिवत् कार्यवाही कर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।




(मनोज गोयल)
अध्यक्ष